आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

26.5.2023

न्यायालयः— भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, श्री बंशीधर नगर।

नामांतरण अपील वाद सं0 05/2020–21

जोखु साव पिता स्व0 माधो साव ..... अपीलार्थी।

बनाम्

सूर्यदेव मेहता पिता रामकिसुन मेहता ..... प्रत्यर्थी।

आदेश

अभिलेख अन्तिम निस्तारण हेतु उपस्थापित। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अंचल अधिकारी, नगर उंटारी के नामांतरण वाद सं0 600R27/2019–20 में पारित आदेश के विरूद्ध अपील आवेदन पत्र दायर किया गया है। अपील आवेदन पत्र के साथ लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के अन्तर्गत विलम्ब माफ करने हेतु आवेदन पत्र दिया गया है। नामांतरण अपील आवेदन पत्र पर विज्ञ अधिवक्ता को सुना। नामांतरण अपील आवेदन पत्र अंगीकृत किया गया एवं संबधित पक्षकारों को नोटिस निर्गत किया गया तथा अंचल अधिकारी, नगर उंटारी से मूल अभिलेख एवं जॉच प्रतिवेदन की मांग की गयी। अंचल अधिकारी, नगर उंटारी से अभिलेख प्राप्त हुआ है।

उभय के विज्ञ अधिवक्ता को सुना।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है किः— 01 ग्राम पुरैनी थाना वो अंचल नगर उंटारी जिला गढ़वा के खाता नं0 03 प्लॉट सं0 293 रकबा 06 डीसमील चौहदी उत्तर एन0 एच0 75 (पक्की सड़क) दक्षिण प्लॉट सं0 293 का अंश भाग पूरब सोमारू साव, पश्चिम पक्की सड़क वाली भूमि गत सर्वे खतियान में अपीलार्थी के पूर्वज कुंजु तेली पिता सुबाष तेली के नाम से दर्ज है कुंजु तेली के मरणोंपरान्त संयुक्त रूप से उसके 6 पुत्रों को अन्य खाता के भूमि के साथ–साथ प्रश्नगत खाता 03 की भूमि उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ है। अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी के केवाला विक्रेता दोनों कुंजु तेली के वंशज है।

02 कुंजु तेली के सभी छह पुत्रों बिना बंटवारा के आजीवन खेतीबारी किये उनके मरणोंपरान्त सभी छः पुत्रों के वंशजों के बीच नाप तौल कर बंटवारा नहीं हुआ। वर्तमान में अपीलार्थी के द्वारा विधिवत नाप–तौल कर बंटवारा करने हेतु प्रश्नगत भूमि खाता सं0 03 प्लॉट सं0 293 के अलावे अन्य खाता सं0 106 की भूमि पर सिविल जज, गढ़वा के न्यायालय में बंटवारा वाद सं0 61/2017 दायर किया गया है। जिसमें प्रतिवादी उपस्थित हो चुके है। प्रत्यर्थी के केवाला विक्रेता सं0 1 शकलु साह पिता स्व0 राम किसुन साह एवं विक्रेता सं0 2 पार्वती देवी पति स्व0 बेलास साह विक्रेता सं0 3 फेकन साह पिता स्व0 टिमू साह बंटवारा वाद सं0 61/2017 में क्रमशः प्रतिवादी

लगातार .....

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

सं0 01, 36, 29 है। प्रतिवादी के रूप में उक्त सभी तीनों विक्रेता न्यायालय में उपस्थित हो चुके है। प्रतिवादी सं0 01, 36, 29 के द्वारा जानबुझकर गलत ढ़ंग से प्रत्यर्थी के पक्ष में प्रश्नगत भूमि खाता सं0 03 प्लॉट सं0 293 रकबा 06 डीसमील भूमि एवं उस पर उपस्थित संयुक्त कच्चा खपड़ा पोश मकान की विक्री केवाला सं0 120 दिनांक 22.01.2015 के द्वारा प्रत्यर्थी से किया गया है। लेकिन क्रेता को अभी तक क्रय की गई भूमि एवं मकान का दखल कब्जा प्राप्त नहीं हुआ है। प्रत्यर्थी के केवाला विक्रेता के हक के निर्धारण का मुकदमा सक्षम न्यायालय में लम्बित है, जब तक उसका निस्तारण नहीं हो जाता है, तब तक विद्वान अंचल अधिकारी के द्वारा विक्री की गयी भूमि एवं मकान का नामांतरण स्वीकार करना रंच मात्र भी उचित नहीं है।

03 अपीलार्थी के द्वारा विक्रय पत्र सं0 120 दिनांक 22.01.2015 के नामांतरण के विरूद्ध विद्वान अंचल अधिकारी नगर उंटारी के समक्ष आपत्ति पत्र दिनांक 20.02.2019 एवं दिनांक 20.12.2019 को दायर किया गया है, जिसकी प्राप्ती की प्रति अपील आवेदन पत्र के साथ मौजूद है। विद्वान अंचल अधिकारी के द्वारा जानबुझकर प्रत्यर्थी के मेल एवं प्रभाव में आकर अपीलार्थी का बिना कोई सूचना दिये गुप्त ढ़ंग से विक्रय पत्र सं0 120 दिनांक 22.01.2015 का नामांतरण स्वीकृत कर दिया गया है।

अतः अपीलार्थी के द्वारा दाखिल नामांतरण अपील आवेदन पत्र को स्वीकार करते हुए अंचल अधिकारी नगर उंटारी के द्वारा नामांतरण वाद सं0 600R27/2019–20 में पारित आदेश को खारिज करने हेतु अनुरोध किया गया है।

प्रत्यर्थी के द्वारा दाखिल प्रत्युत्तर का प्रत्युत्तर अपीलार्थी की ओर से :–

01 प्रत्यर्थी की ओर से दायर कारण पृच्छा में वर्णित तथ्य सरासर गलत एवं निराधार है, अपीलार्थी उसका खण्डन करते है।

02 कारण पृच्छा के कण्डिका 3 में वर्णित तथ्य बिलकुल गलत है अंचल कार्यालय नगर उंटारी के नामांतरण वाद सं0 660/1988–89 से नामांतरण की कार्रवाई गलत ढंग से कराया गया है अपीलार्थी को इसकी रंच मात्र की जानकारी नहीं है। ग्राम पुरैनी के खतियानी रैयत कुंजु तेली के सभी छः पुत्रों के बीच नाम तौल कर कभी बंटवारा नहीं हुआ है।

03 अपीलार्थी के द्वारा अन्य भूमि के साथ–साथ प्रश्नगत खाता प्लॉट की भूमि के बंटवारा के लिए सिविल जज गढ़वा के न्यायालय में बंटवारा वाद सं0 (61/2017)/(555/2019) दायर किया गया है। अपीलार्थी के द्वारा प्रत्यर्थी के केवाला सं0 120 दिनांक 20.01.2015 के नामांतरण के विरूद्ध दिनांक 20.02.2019 को आपत्ति पत्र दायर किया गया था,

लगातार .....

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

लेकिन विद्वान अंचल अधिकारी प्रत्यर्थी के प्रभाव में आकर नामांतरण की कार्रवाई स्वीकृत करने का आदेश पारित कर दिये जो किसी भी दृष्टि से सही नहीं है।

04 प्रश्नगत भूमि से संबंधित बंटवारा का मामला व्यवहार न्यायालय में लम्बित रहने के बावजूद विद्वान अंचल अधिकारी के द्वारा केवाला सं0 120 दिनांक 22.01.2015 के नामांतरण आदेश पारित करना विधि सम्मत नहीं है।

05 प्रश्नगत भूमि पर प्रत्यर्थी का रंच मात्र भी दखल कब्जा नहीं है।

अतः अपीलार्थी की ओर से दायर प्रत्युत्तर स्वीकार कर प्रत्यर्थी के द्वारा दायर कारण पृच्छा खारिज करने हेतु अनुरोध किया गया है।

अपीलार्थी के द्वारा दाखिल कागजात निम्न प्रकार है।

01 अंचल अधिकारी के समक्ष आपत्ति का छायाप्रति ..... 02 फर्द
02 P.S. सं0 61/2017 का छायाप्रति ..... 12 फर्द
03 बंटवारा की छायाप्रति ..... 26 फर्द
04 खतियान की छायाप्रति ..... 03 फर्द

प्रत्यर्थी के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि :– 01 प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील आवेदन बिलकुल मन गढ़ंत व गलत है अतः अपील आवेदन खारिज योग्य है।

02 अपीलार्थी के द्वारा अंचल अधिकारी नगर उंटारी के नामांतरण वाद सं0 600R27/2019–20 में पारित आदेश के विरूद्ध अपील आवेदन दायर किये है जो गलत है।

03 पूर्व में उक्त भूमि के साथ अन्य प्लॉटों की भूमि अपीलार्थी के बंशज व प्रत्यर्थी के विक्रेता के बंशज की थी।

04 अपीलार्थी के पिता व चाचा के द्वारा अंचल निरीक्षक के माध्यम से शिविर न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करा कर अपने दखल कब्जे की भूमि का मांग नामांतरण वाद सं0 660/1988–89 से अलग करा कर जोत कोड़ व दखल कब्जा में आए तथा अपीलार्थी के पिता के नाम से अलग से लगान रसीद कटती है जो कि खाता सं0 3 में अपीलार्थी के पिता के नाम से एक इंच भूमि नही है इस पर स्वयं विचार करने की बात है कि अपीलार्थी का अपील आवेदन कहा तक ग्राह्य है।

05 प्रत्यर्थी ने खतियानी रैयत राकलु साव व शंकर साव के पुत्र वधु व पोता से केवाला करा कर नगद जरसम्मन देकर भूमि को क्रय किया। क्रय करने के पश्चात् उक्त भूमि का दाखिल खारिज हेतु

लगातार .....

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

अंचल कार्यालय में आवेदन दिया अंचल कार्यालय द्वारा विधिवत जॉच करने के पश्चात मेरे नाम से लगान रसीद निर्गत किया गया।

अतः प्रत्यर्थी के द्वारा समर्पित कारण पृच्छा को स्वीकार करते हुए अंचल अधिकारी नगर उंटारी के द्वारा नामांतरण वाद सं0 600R27/2019–20 में पारित आदेश को यथावत बहाल रखते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन पत्र को खारिज करने हेतु अनुरोध किया गया है। प्रत्यर्थी के द्वारा दाखिल कागजात निम्न प्रकार है।

01 केवाला का छायाप्रति ..... 09 फर्द
02 अंचल से निर्गत शुद्धि पत्र का छायाप्रति ..... 01 फर्द
03 प्रत्यर्थी के विक्रेता के नाम से मांगपंजी 2 का छायाप्रति .. 02 फर्द
04 प्रत्यर्थी के विक्रेता के नाम से खतियान का छायाप्रति ..... 02 फर्द
05 प्रत्यर्थी के नाम से लगान रसीद का छायाप्रति ..... 01 फर्द
06 प्रत्यर्थी के नाम से मांगपंजी 2 का छायाप्रति ..... 01 फर्द
07 अपीलार्थी के पिता व चाचा के नाम से
बंटवारा वाद सं0 660/1988–89 का छायाप्रति ..... 03 फर्द
08 प्रत्यर्थी के पिता के नाम से मांगपंजी 2 का छायाप्रति ..... 03 फर्द
09 प्रत्यर्थी के विक्रेता के नाम से खतियान का छायाप्रति ..... 01 फर्द

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने एवं उनके द्वारा दाखिल लिखित अपील आवेदन पत्र, अपील आवेदन पत्र का प्रत्युत्तर वो अभिलेख में संलग्न राजस्व कागजात का गहन परिशीलन किया तथा पाया कि प्रश्नगत भूमि प्रत्यर्थी ने केवाला सं0 120 दिनांक 20.01.2015 से विक्रेता शकलु साह पिता स्व0 रामकिशुन साह वो पार्वती देवी पति स्व0 बेलास साह वो फेकन साह पिता स्व0 टिमू साव से प्राप्त है। जिसका नामांतरण वाद सं0 600R27/2019–20 से नामांतरण होकर लगान रसीद निर्गत है। प्रश्नगत भूमि का गत सर्वे के खाता सं0 3 प्लॉट सं0 293 रकबा 18 डीसमील एवं अन्य प्लॉट भूमि का खतियान कुजी तेली के नाम से है। अपीलार्थी के पिता माधो साव वो सरहु साव दोनों पिता स्व0 चीलर साव को अंचल अधिकारी, नगर उंटारी के उत्तराधिकार बंटवारानामा वाद सं0 660/1988–89 से प्रश्नगत भूमि के मूल मांगपंजी 2 से अलग करा लिये है। उक्त बंटवारा में प्रश्नगत खाता प्लॉट अपीलार्थी के पिता को प्राप्त नहीं है। प्रश्नगत प्लॉट सं0 293 में रकबा 4½ डीसमील भूमि अपीलार्थी ने केवाला सं0 4871 दिनांक 25.06.2011 से मानमती देवी पति जोखु साह ग्राम पुरैनी के नाम से हस्तांतरित कर दिये है। जिसका नामांतरण वाद सं0 633/2011–12 से दाखिल खारिज होकर लगान रसीद निर्गत है।

लगातार .....

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

प्रश्नगत प्लॉट सं0 293 में रकबा 4½ डीसमील भूमि का सीमांकन वाद सं0 11/2011–12 से अंचल कार्यालय नगर उंटारी से मापी कराया गया है। अपीलार्थी के द्वारा दाखिल उत्तराधिकार नामांतरण कराने हेतु संलग्न शपथ पत्र सं0 17/1600 दिनांक 09.10.2018 में प्रश्नगत प्लॉट सं0 293 रकबा 18 डीसमील पर दावा किया गया है। मौखिक बंटवारा के संपुष्टि हेतु एकरारनामा शपथ पत्र सं0 III/6065 दिनांक 20.02.2019 में अपीलार्थी के हिस्सेदारों का हस्ताक्षर अंकित नहीं है। अपीलार्थी के द्वारा प्रश्नगत भूमि के साथ अन्य भूमि को लेकर Original (P.S.) Suit No. 61 of 2017 सिविल जज सिनियर डिविजन । गढ़वा के न्यायालय में दायर किया गया है। उक्त वाद में प्रत्यर्थी के भूमि बिक्रेतागण एवं अन्य हिस्सेदारों को भी पक्षकार बनाया गया है जिसमें न्यायालय द्वारा अभी तक कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

अतः उक्त तथ्य के आलोक में अपीलार्थी के द्वारा दाखिल नामांतरण अपील आवेदन पत्र को अस्वीकृत करते हुए अंचल अधिकारी, नगर उंटारी के द्वारा नामांतरण वाद सं0 600R27/2019–20 में पारित आदेश को यथावत रखा जाता है। इस आशय के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

26/V/23

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
श्री बंशीधर नगर।

26/V/23

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
श्री बंशीधर नगर।

Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2023.06.17 14:07:18 +05:30
Location: 192.168.1.35

Scanned with CamScanner